न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 846/2018

1. गुरमेल सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति रामगढिया निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. गुरदेव सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति रामगढिया निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. साधुसिंह पिसर मुतबना जंगीर सिंह जाति तरखान निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम सुथार — — प्रार्थीगण
2. श्री राजेश गुम्बर — — अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज — — अप्रार्थी सं. 2

–:: आदेश ::– दिनांक :– 13.08.2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण के नाम से चक 28 एल. एन.पी. द्वितीय तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 24/24 में अन्य रकबा के अलावा मु0 न0 35 के किला न0 21,22,23 का 0.759 हे0 खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है। प्रार्थीगण के उपरोक्त रकबा के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है बल्कि प्राथीयान एल एन पी नहर की पट्डी से होते हुए मु0 न0 35 के किला न0 25 में प्रवेश करते है तथा मु0 न0 35 के किला न0 25 व 24 से होकर अपने उपरोक्त रकबा में आवागमन करते है। मु0 न0 35 को किला न0 25, 24 अप्रार्थी सं0 1 के नाम खाता सं0 47/47 में खातेदारी दर्ज है, अतः प्रार्थीयान उपरोक्त रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है। अप्रार्थी अब उपरोक्त रास्ता में से आवागमन करने में बाधा पैदा करने लगा है, अतः उपरोक्त प्रचलित रास्ता को स्वीकृत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

करवाया जाना आवश्यक है जो कि मु0 न0 35 के किला न0 25 के दक्षिणी–पश्चिमी हिस्सा व किला न0 24 के दक्षिणी हिस्सा में से एक–एक बिस्वा स्वीकृत करवाना आवश्यक है। प्रार्थीयान इस सम्बंध में मुआवजा राशि डी एल सी रेट से जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 28 एल एन पी द्वितीय तह0 श्री गंगानगर में प्रार्थी के रकबा के लिए अप्रार्थी के रकबा मु0 न0 35 के किला न0 25 के दक्षिणी–पश्चिमी हिस्सा व किला न0 24 के दक्षिणी हिस्सा में से एक–एक बिस्वा स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के नोटिस पर तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 03.10.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसे स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जारी एकपक्षीय आदेश दिनांक 03.10.2018 को निरस्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधि. दिनांका 29.10.2018 को पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार मौका पर रास्ता नही चल रहा है एवम् प्रार्थी अन्य रास्ता से अपनी कृषि भूमि मे प्रवेश करता है। इसलिये रास्ता स्वीकृत नही जा सकता। मौका पर प्रचलित रास्ता नही है एवम् प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता नही है एवम् प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये अलग रास्ता है। सुविधा के आधार पर रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता, अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम 69 मे स्पष्ट अंकित है कि मौका की रिपोर्ट स्वयं उपखण्ड अधिकारी निरीक्षण करेगा या रिपोर्ट तहसीलदार या गिरदावर की उपस्थिति में स्वयं समस्त प्रभावित पक्षकारों को मौका पर बुलाकर उनकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की जावेगी। उनके रिपोर्ट पर हस्ताक्षकर होंगे परन्तु उक्त प्रकरण मे रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार कर पेश की गई है। प्रकरण मे प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी द्वारा पेश की गई है एवम् मौका पर प्रभावित पक्षकारों की उपस्थिति मे रिपोर्ट तैयार नही की गई है। रिपोर्ट दिनांक 31–05–2018 से स्पष्ट है। इसलिए उक्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। नियम 69 की पालना नही की गई है। मौका रिपोर्ट के सम्बध मे माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय 2016(2) आरआरटी 1281 में स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट गिरदावर या तहसील द्वारा तैयार करनी चाहिये एवम् 2017 आरआर 515 मे भी स्पष्ट है कि प्रभावित पक्षकारों को सुनना जरूरी है। उनकी उपस्थिति मे रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये, परन्तु उक्त प्रकरण मे ना तो गिरदावर या तहसीलदार की रिपोर्ट है और ना ही प्रभावित पक्षकारो को सुना गया इसलिए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिनियम की धारा 251–क के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम 69 के तहत तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से जरिए क्रमांक राजस्व/18/54 दिनांक 17.01.2019 के मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसके तथ्यानुसार मौका निरीक्षण के आधार पर चक 28 एलएनपी द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 35 के नहर सीमा से चिपता हुआ रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी गुरमेलसिंह मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 23 में जाने के लिए किला नम्बर 24–25 में 8.25 फुट चौड़ा रास्ता लेना चाहता है। अतः मौका पर किला नम्बर 25 के कोने पर एक 7 इन्टू 8 फुट का अस्थाई ईंटों का कमरा बना हुआ है तथा सरसों की काश्त की हुई है। इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 3–8–13–18 में से अगर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी को चार बीघों में से होर आना पडेगा अगर किला नम्बर 24–25 में स्वीकृत किया जाता है तो दो बीघों में से आना पडता है। इसलिए यह रास्ता नजदीक पड़ता है।

दिनांक बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों एवं तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा किला नम्बर 25 के कोने पर एक 7 इन्टू 8 फुट का अस्थाई ईंटों का कमरा बना हुआ है। कृषि भूमि पर अपनी सुविधा एवं उपयोग हेतु निर्माण कार्य कर कमरा बनाया गया है जिस बाबत कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग हेतु संपरिवर्तन आदेश अथवा अन्य किसी सक्षम आदेश की प्रति अथवा दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर चक 28 एल एन पी द्वितीय तह0 श्री गंगानगर में प्रार्थी के रकबा के लिए अप्रार्थी के रकबा मु0 न0 35 के किला न0 25 के दक्षिणी–पश्चिमी हिस्सा व किला न0 24 के दक्षिणी हिस्सा में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवानें के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपनें स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अधिकारी (राजस्व)